226

बरेली कैन्टोनमैन्ट बोर्ड

सार्वजनिक सूचना

कॉजी हाऊस (कैटिल पाउन्ड) छावनी परिषद सदर बाजार बरेली कैन्ट में बन्द आवारा जानवरों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैन्टोनमैन्ट बोर्ड बरेली द्वारा अभियान चलाकर कैन्ट क्षेत्र में घूम रहे आवारा जानवरों को समय-समय पर कैन्ट बोर्ड बरेली द्वारा संचालित कॉजी हाऊस (कैटिल पाउन्ड) में बन्द किया जा रहा हैं जिसमें से कुछ जानवरों को सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा जुर्माना देकर छुड़वा लिया गया है।

कैटिल पाउन्ड के अभिलेखों के अनुसार अभी भी कुछ जानवर (गाय एवं गाय के बछड़े) बन्द हैं जिनको सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा नहीं छुड़वाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समस्त डेयरी संचालक अथवा सम्बन्धित व्यक्तिगण जिनके जानवर कॉजी हाऊस (कैटिल पाउन्ड) में बन्द हैं को सूचित किया जाता है कि उक्त सूचना के प्रकाशन के 03 दिनों की अवधि में अपने बन्द जानवरों को निर्धारित शुल्क/जुर्माना देकर छुड़वा लें, अन्यथा उक्त जानवरों को सरकारी गौशाला भेज दिया जायेगा अथवा उनको नियमानुसार नीलाम कर दिया जायेगा जिसकी हर्जे-खर्जे की एवं समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्तिगण की स्वयं की होगी।

उक्त सूचना जनहित में प्रकाशित है।

पत्रांक : सीबीबी/कैटिल पाउण्ड/राजस्व/ई0-3
दिनॉक: 10 जुलाई,2020

(डा0 अनुपम तलवाड़)
(DR. ANUPAM TALWAR)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
बरेली छावनी परिषद
Bareilly Cantonment Board

प्रतिलिपि :-

01.	सम्पादक, दैनिक जागरण प्रेस ।	कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में एक कॉलम स्पेस में डी0ए0वी0 दरों पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें ।
02.	सम्पादक, अमर उजाला प्रेस ।	
03.	कार्यालय नोटिस बोर्ड	
04.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ।	कैन्ट बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
05.	समस्त निर्वाचित सदस्यगण, छावनी परिषद, बरेली।	सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कैटिल पाउण्ड परिसर के व्यवस्थित संचालन के सम्बन्ध में बन्द किये गये पशुओं से सम्बन्धित व्यक्तियों/वार्ड के नागरिकों से समन्वय करते हुये उचित फीस/जुर्माना जमा कराते हुये जानवरों के निस्तारण में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें ।